

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./आर-2-6/2018/ 16041

भोपाल, दिनांक 16/11/2018

// आदेश//

पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक 1745 दिनांक 07.02.2018, आदेश क्रमांक 6647 दिनांक 15.05.2018 एवं आदेश क्रमांक 4340 दिनांक 28.03.2018 द्वारा जनपद पंचायत सिंरोज जिला विदिशा के निम्न ग्राम पंचायतों में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार निर्माण कार्य स्वीकृत कर प्रथम किशत की राशि जारी की गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिंरोज से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार द्वितीय किशत के आवंटन की मांग किये जाने के फलस्वरूप योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद से द्वितीय किशत की राशि उपलब्ध कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	जिला	जनपद	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत राशि	प्रथम किशत के रूप में जारी की गई राशि	जारी की जाने वाली द्वितीय किशत की राशि
1	विदिशा	सिंरोज	बगरोदा	पंचायत भवन	14.48	5.00	3.688
2	विदिशा	सिंरोज	चुनियाखोह	सामुदायिक भवन	12.00	6.00	6.00
3	विदिशा	सिंरोज	प्यासी (ग्राम चौपनाकला)	आंगनवाड़ी भवन	07.80	2.00	4.00
				योग			13.688

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपद पंचायत में जमा कराया जाना होगा। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(शमीम उद्दीन)

संचालक

पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 16/11/2018

पृ.क्रमांक/पं.रा./आर-2-6/2018/ 16042

प्रतिलिपि:-

1. संभागीय आयुक्त, भोपाल संभाग म.प्र को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला विदिशा को सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार द्वितीय किशत की राशि संबंधित ग्राम पंचायतों को जारी की जावे।
5. कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की ओर सूचनार्थ ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिंरोज जिला विदिशा की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कार्य का पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त कर जनपद पंचायत में संधारित करें।
7. संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत को पालनार्थ।
8. मैनेजर विभागीय वेबसाईट/पंचायिका।

संचालक

पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)